राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्र. एफ 4(5)ग्रावि/नरेगा/मार्गदर्शिका/09-10 जयपुर, दिनांकः

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

24 JUN 2009

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं हरित राजस्थान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिनांक 18.06.09 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में आप द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे। बैठक में आप द्वारा कई कमियां यथा- समय पर भुगतान में पोस्ट ऑफिस का असहयोग, कार्यों का समय पर निरीक्षण का अभाव, कार्यों का समय पर मूल्यांकन नहीं होना, मेट का प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाना, शिकायतों की जांच कर समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना, रोजगार सहायकों/ ग्राम सेवकों द्वारा समय पर कार्य निष्पादन नहीं करना बताई गई। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस योजना की जिले में अधिनियम के प्रावधानानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का दायित्व जिला कार्यक्रम समन्वयक का है। आप द्वारा उक्त कमियों को दूर करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने आवश्यक हैं ताकि इन कमियों की पुनार्वत्ति भविष्य में न हो।

आप द्वारा दिये गये सुझावों के क्रम में निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. योजना के क्रियान्वयन में सामग्री मजदूरी अनुपात क्रमशः 40 : 60 कार्यवार नहीं रखा जाकर जिलेवार सुनिश्चित किया जावे।
2. वृक्षारोपण के कार्य में वृक्षारोपण के साथ-साथ पौधों के रख-रखाव का प्रावधान सम्मिलित करते हुए तकमीने स्वीकृत किये जावें। वृक्षारोपण एवं रख-रखाव के संदर्भ में वन विभाग द्वारा निर्धारित नोर्म्स (जिला वन अधिकारी के पास उपलब्ध हैं) के अनुसार तकमीनों में प्रावधान रखे जावें, इसी प्रकार श्रमिक नियोजन किया जावे एवं निष्पादित टास्क अनुसार भुगतान किया जावे। इनकी पालना सुनिश्चित की जावे।
3. वर्ष 2009-10 की वार्षिक कार्य योजना में हरित राजस्थान के तहत वन विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों के साथ-साथ अन्य विभागों के साथ कनवरजेन्स के संदर्भ में जारी निर्देशों के क्रम में यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, भू-संरक्षण विभाग आदि द्वारा भी यदि कोई प्रस्ताव दिये गये हों, तो उन्हें सम्मिलित करते हुए प्रस्तावों का अनुमोदन जिला परिषद की एक बैठक बुलाई जाकर उसमें उन प्रस्तावों का अनुमोदन कराते हुए वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया जावे। उक्त कार्यवाही 3 जुलाई, 2009 तक सुनिश्चित कर ली जावे।

4. वृक्षारोपण के तहत लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए मेडबन्दी, फेन्सिंग आदि का कार्य भी तकमीनों में सम्मिलित किया जावे। इसी क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में स्थापित वृक्षों के रख-रखाव का कार्य भी हाथ में लिया जा सकता है।
5. चारागाह विकास, नर्सरी स्थापना आदि के कार्य में स्वयं सहायता समूह, वन समितियों आदि को भी जोडा जा सकता है।
6. योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कराए जाने वाले निरीक्षणों में राजस्व अधिकारियों यथा- तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी आदि के लिए भी नोर्म्स निर्धारित करते हुए उनके द्वारा भी निरीक्षण सुनिश्चित किये जावें।
7. योजनान्तर्गत कैटेगरी-4 के तहत व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में परिवार की शामिलाती भूमि होने पर पात्र परिवार के नोशनल शेयर को दृष्टिगत रखते हुए उस परिवार को लाभान्वित किया जावे। इस श्रेणी के कार्य को प्राथमिकता पर लिया जावे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(जी.एस. सन्धु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा को भेजकर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।

परि.निदे एवं उपसचिव(ग्रारो)